

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का गठन राजस्व से संबंधित विभागों में हो रहे राजस्व रिसाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। निदेशालय का गठन मुख्यतया राज्य सरकार के राजस्व अर्जन करने वाले विभागों यथा वाणिज्यिक कर, परिवहन, आबकारी, खनन एवं पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में हो रहे राजस्व रिसाव की विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त कर इन सूचनाओं के विश्लेषण एवं अन्वेषण का कार्य किया जाना, विभिन्न विभागों के मध्य हो रहे कर के रिसाव को रोकना, अन्तर्राज्यीय व्यापार में कर वंचना को रोकने के संबंध में सुझाव देना हैं, वहीं आम जनता के माध्यम से प्राप्त कर वंचना की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही कर आम जनता में निदेशालय के प्रति विश्वास उत्पन्न करना भी है।

निदेशालय में वित्तीय वर्ष 2014-15 से पूर्व स्वप्रेरित प्रकरणों को वेबपोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज किये जाने का प्रावधान नहीं था, उच्च स्तर पर निर्णय लिया जाकर पूर्व वर्षों में दर्ज किये गये स्वप्रेरित प्रकरणों का इन्द्राज निदेशालय के वेबपोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2014-15 से किया जाने लगा। निदेशालय के प्रारंभ से 31.03.2015 की अवधि में वेबपोर्टल पर 123 स्वप्रेरित प्रकरण दर्ज किये गये एवं 23 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि ₹ 1060.44 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि ₹ 286.78 करोड़ की राजस्व वसूली की गई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 (दिनांक 1.04.2015 से 31.12.2015) में 78 नवीन स्वप्रेरित प्रकरण दर्ज किये गये एवं 13 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि ₹ 65.52 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि ₹ 7.91 करोड़ की राजस्व वसूली की गई है।

इसी प्रकार राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निदेशालय के प्रारंभ से 31.03.2015 की अवधि में वेबपोर्टल पर 1852 पीआईआर प्रकरण दर्ज किये गये एवं 1629 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि ₹ 65.45 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि ₹ 34.02 करोड़ की राजस्व वसूली की गई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 (दिनांक 1.04.2015 से 31.12.2015) में 218 नवीन पीआईआर प्रकरण दर्ज किये गये एवं 68 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि ₹ 9.93 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि ₹ 3.12 करोड़ की राजस्व वसूली की गई है।

निदेशालय के प्रारम्भ से 31.03.2015 तक की समयावधि एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 (दिनांक 1.04.2015 से 31.12.2015 तक) में दर्ज एवं निस्तारित पी.आई.आर., स्वप्रेरित प्रकरण एवं समग्र (पीआईआर एवं स्वप्रेरित) प्रकरणों का विवरण एवं इनसे प्राप्त राजस्व राशि का विवरण तालिका में दर्शित किया गया है—

(राशि ₹ लाख में)

क. सं.	विभाग का नाम	1.04.2010 से 31.03.2015 तक दर्ज पी.आई.आर का विवरण					1.04.2015 से 31.12.2015 तक दर्ज पी.आई.आर का विवरण					
		दर्ज पी.आई.आर. की संख्या	निस्तारित पी.आई.आर. की संख्या	शेष पी.आई.आर. की संख्या	आरोपित राशि	वसूली गई राशि	1.04.2015 को शेष पीआईआर की संख्या	दर्ज पी.आई.आर. की संख्या	निस्तारित पी.आई.आर. की संख्या	शेष पी.आई.आर. की संख्या	आरोपित राशि	वसूली गई राशि
1	वाणिज्यिक कर विभाग	1015	931	84	5,270.64	2,915.00	84	122	34	172	237.72	190.49
2	परिवहन विभाग	110	86	24	38.50	21.51	24	11	8	27	0.00	0.00
3	आबकारी विभाग	56	51	5	51.11	51.11	5	5	5	5	0.00	0.00
4	मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग	166	111	55	214.56	106.32	55	38	6	87	55.29	3.66
5	खनिज एवं भूविज्ञान विभाग	470	415	55	969.87	308.47	55	41	15	81	699.53	117.99
6	अन्य	35	35	0	0.00	0.00	0	1	0	1	0.00	0.00
	कुल	1852	1629	223	6,544.68	3,402.41	223	218	68	373	992.54	312.14
		1.04.2010 से 31.03.2015 तक दर्ज स्वप्रेरित प्रकरण का विवरण					1.04.2015 से 31.12.2015 तक दर्ज स्वप्रेरित प्रकरण का विवरण					
1.	समस्त विभाग	123	23	100	1,06,043.54	28,678.43	100	78	13	165	6,552.36	791.16
		1.04.2010 से 31.03.2015 तक दर्ज समग्र (पी.आई.आर. एवं स्वप्रेरित) प्रकरणों का विवरण					1.04.2015 से 31.12.2015 तक दर्ज समग्र (पी.आई.आर. एवं स्वप्रेरित) प्रकरणों का विवरण					
1	वाणिज्यिक कर विभाग	1047	941	106	1,01,698.38	26,249.07	106	132	35	203	1,012.58	253.89
2	परिवहन विभाग	119	86	33	777.50	25.51	33	14	8	39	293.33	31.53
3	आबकारी विभाग	56	51	5	632.55	69.69	5	8	7	6	0.00	0.00
4	मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग	231	123	108	8,509.92	5,428.10	108	97	15	190	2,969.59	688.59
5	खनिज एवं भूविज्ञान विभाग	487	416	71	969.87	308.47	71	44	16	99	3,269.40	129.29
6	अन्य	35	35	0	0.00	0.00	0	1	0	1	0.00	0.00
	कुल	1975	1652	323	1,12,588.22	32,080.84	323	296	81	538	7,544.90	1,103.30

आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ

बजट घोषणा वर्ष 2014-15 में मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गई बजट घोषणा में राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का पुनर्गठन कर State Directorate of Revenue Intelligence, Information and Enforcement के रूप में गठन करने की घोषणा की गई थी। इसमें वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग एवं खान विभाग आदि के प्रवर्तन (Enforcement) कार्यों को भी सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित किया गया था। उक्त बजट घोषणा की क्रियान्विति राज्य सरकार स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

आलोच्य वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वप्रेरित आधार पर एक कम्पनी के डीमर्जर पर स्टाम्प शुल्क अपवंचना का प्रकरण बनाया गया, जिसमें राशि ₹ 25 करोड़ का राजस्व निहित है। इसी प्रकार एक अन्य कम्पनी के विरुद्ध ऋण लिखत पर स्टाम्प शुल्क अपवंचना के स्वप्रेरित प्रकरण में राशि ₹ 15.24 करोड़ का राजस्व निहित है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यवसायिक मॉल्स में किरायेनामे के प्रकरण तथा विभिन्न शहरों के विकास प्राधिकरण/यू.आई.टी. से प्राप्त सूचनाओं पर स्टाम्प शुल्क अपवंचना के प्रकरण बनाये गये।

विंड मिल विकासकर्ता फर्मों के विरुद्ध विंड मिल फाउण्डेशन एवं सम्पर्क सडक के निर्माण में विभिन्न खनिजों का बिना एस.टी.पी. लिये उपयोग में लिये जाने के 4 स्वप्रेरित प्रकरणों में राशि ₹ 46.99 करोड़ का राजस्व निहित है। बीकानेर क्षेत्र में खनिज जिप्सम के 145600 मैट्रिक टन अवैध खनन एवं निर्गमन का एक कम्पनी के विरुद्ध स्वप्रेरित प्रकरण में राशि ₹ 18.20 करोड़ का राजस्व निहित है। इसी प्रकार 2 खनन पट्टाधारियों एवं 3 डीलर्स के विरुद्ध खनिज जिप्सम के 14227.13 मैट्रिक टन अवैध खनन एवं आपूर्ति के स्वप्रेरित प्रकरण में राशि ₹ 1.78 करोड़ का राजस्व निहित है।

प्रवेश कर अधिनियम और कर दर एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत 8 स्वप्रेरित प्रकरण बनाये गये। इसके अतिरिक्त राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 76 के तहत 2 ट्रकों के विरुद्ध करापवंचन के प्रकरण बनाये गये।